कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 112/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 24.03.2026

➡ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡ मुखबिर की सूचना पर बम्हौर अंडरपास के पास पुलिस की त्वरित कार्रवाई

➡ अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज

➡ अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर तमंचा व कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्रा चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर मय हमराह का0 सत्यम सिंह व का0 छोटेलाल गोड़ द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहे के साथ बम्हौर अंडरपास के नीचे बैठा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई और मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम फरमान पुत्र असरार निवासी हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत समय करीब 23:41 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें चोरी, आबकारी एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह पुलिस बल शामिल रहे।

बरामदगी का विवरण:- एक अदद तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
नाम पता अभियुक्त:- फरमान पुत्र असरार नि0 हैदराबाद थाना मुबारकपुर आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 206/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 262/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

- मु0अ0सं0 263/2021 धारा 379,411 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 376/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधरापुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 404/2021 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 403/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिधारी, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

- ➢ उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 24.03.2026

थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़

➡ बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाली दो वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

➡ दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर साल्वर बनकर परीक्षा देने का मामला

➡ STF व स्थानीय पुलिस की पूर्व कार्यवाही में खुला था गिरोह

➡ आधार कार्ड टैम्परिंग कर परीक्षा दिलाने का संगठित रैकेट

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2025 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन बनाये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक STF उ0प्र0 लखनऊ व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में नकल माफिया/साल्वर गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में दिनांक 06.03.2025 को मुखबिर सूचना के आधार पर पण्डित कामता प्रसाद इण्टर कालेज मुडहर ठेकमा, थाना गम्भीरपुर में STF व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गयी, जिसमें पाया गया कि वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर साल्वर बैठाकर आधार कार्ड में फोटो टैम्परिंग कर परीक्षा दिलाई जा रही थी। विद्यालय प्रबन्धक विजय तिवारी व प्राधानाचार्य बबिता तिवारी द्वारा प्रति परीक्षार्थी धनराशि लेकर इस अवैध कृत्य को संचालित किया जा रहा था। मौके से 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 71/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS व 8, 9, 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता प्रियंका पाल व सीमा का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के नेतृत्व में दिनांक 24.03.2026 को उ0नि0 सूरज चौधरी, उ0नि0 विपिन द्विवेदी मय हमराह का0 विवेक यादव, म0का0 अंजली सरोज व म0का0 अनामिका मिश्रा द्वारा वांछित अभियुक्तागण 1. प्रियंका पाल पुत्री विरेन्द्र पाल निवासी रायपुर थाना मेहनगर 2. सीमा पुत्री राजेश राम निवासी मिल्कीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागणः-

1. प्रियंका पाल पुत्री विरेन्द्र पाल निवासी रायपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
2. सीमा पुत्री राजेश राम निवासी मिल्कीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 71/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS व 8, 9, 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी, थाना गम्भीरपुर
2. उ0नि0 विपिन द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर
3. का0 विवेक यादव, थाना गम्भीरपुर
4. म0का0 अंजली सरोज, थाना गम्भीरपुर
5. म0का0 अनामिका मिश्रा, थाना गम्भीरपुर

प्रेस नोट, थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 24.03.2026

➡ मोबाइल लूट की घटना का खुलासा, दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

➡ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल किया था लूट

➡ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दोनों को पकड़ा

➡ अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद

➡ जनपद आजमगढ़ के थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.03.2026 को वादी अनूपचन्द पुत्र सेवक राम निवासी ग्राम हरखोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उनका मोबाइल फोन लूट लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0132/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्यामजी यादव द्वारा की जा रही थी।

➡ घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक राज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 श्यामजी यादव मय हमराह रजादेपुर चौराहे पर मौजूद थे, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से रजादेपुर की ओर आ रहे हैं तथा लूटा गया मोबाइल बेचने की फिराक में हैं।

➡ सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा आनन्द विहार कालोनी मार्ग पर सघन घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात एक मोटरसाइकिल (UP 50 CV 6601) पर सवार दो व्यक्तियों को आते देखा गया, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर दोनों अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगे, किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. शेषनाथ चौबे पुत्र स्व0 स्वामीनाथ चौबे निवासी ग्राम बरोही फत्तेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. सचिन कुमार पुत्र तिफानी राम निवासी ग्राम मार्हाकर्मनाथ पट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

➡ एक अदद मोबाइल फोन (Samsung Galaxy A03)

पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 0132/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

➡ शेषनाथ चौबे के विरुद्ध पूर्व में चोरी/लूट से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं।

➡ सचिन कुमार के विरुद्ध विभिन्न थानों पर लूट/चोरी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्यामजी यादव, थाना जीयनपुर
2. हे0का0 राजेश कुमार
3. का0 अवधेश कुशवाहा
4. का0 अजय कुमार
5. का0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक-**12.07.2023** को वादी मुकदमा प्र0निरी0 श्री गजानन चौबे थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 310/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे 7 गवाह परीक्षित हुए।

➡जिसके क्रम में दिनांक-24.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 (गैंगे0 एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को**

दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे 1 अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 25.01.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आर0पी0 यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त नदीम पुत्र मो खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आलाकत्ल 1 अदद देशी तमन्चा .303 बोर बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 28/2003 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त नदीम पुत्र मो0 खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 19.11.2002 को वादी मुकदमा मो0 सेफ पुत्र सोहराब अहमद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. इम्तियाज पुत्र मो0 याकूब 2. नदीम पुत्र मो खालिद 3. अलीशेर पुत्र मो0 खलील निवासीगण बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश (जमीनी विवाद) को लेकर मेरे पिता सोहराव अहमद को गोली मारकर हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 827/2002 धारा-302,34 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. इम्तियाज पुत्र मो0 याकूब 2. नदीम पुत्र मो0 खालिद 3. अलीशेर पुत्र मो0 खलील निवासीगण बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे 1 अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 25.01.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आऱ0पी0 यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त अलीशेर पुत्र मो0खलील निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आलाकत्ल 1 अदद देशी तमन्चा .303 बोर बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 29/2003 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त अलीशेर पुत्र मो0खलील निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस नोट

जनपद – आजमगढ़ | दिनांक – 23.03.2026

□*चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत चला व्यापक जनजागरूकता अभियान*
□*मंदिरों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो टीमों की सघन चेकिंग*
□*ग्राम स्तर पर 70 चौपाल/जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर 1799 महिलाओं को किया गया जागरूक*
□*महिला हेल्पलाइन नंबरों व सरकारी योजनाओं से संबंधित 1546 पम्पलेट वितरित*
□*72 स्थानों पर चेकिंग, 1191 व्यक्तियों की जांच, 632 को चेतावनी/नोटिस*
□*1186 वाहनों की चेकिंग, स्टंटबाजी करने वाले 17 चालकों पर चालान की कार्रवाई*

➡□ जनपद आजमगढ़ में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। यह अभियान श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सदर/पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों, मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

➡□ अभियान के दौरान महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम स्तर पर 70 चौपाल/जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर कुल 1799 महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, कानूनों, साइबर अपराध से बचाव एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा 1546 पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112 आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

➡ इसी क्रम में एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मंदिरों, चौराहों, बाजारों, मॉल, पार्क एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले 72 स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 1191 व्यक्तियों की जांच की गई तथा 632 व्यक्तियों को चेतावनी/नोटिस देकर भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर 1186 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें स्टंटबाजी करने वाले 17 चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।

➡ जनपद पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि नवरात्रि के दौरान सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जा सके।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्कूटी रैली निकालकर किया गया जागरूक

महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के प्रति दिया गया जागरूकता संदेश

आज दिनांक 24.03.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं थानाध्यक्ष बरदह के नेतृत्व में थाना बरदह क्षेत्रान्तर्गत स्कूटी रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया।

➡ यह रैली थाना बरदह से प्रारम्भ होकर बरदह बाजार, शिव मंदिर तिराहा होते हुए गांधी डिग्री कॉलेज बरदह तक पहुंची, जहां मार्ग में लोगों को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने हेतु प्रेरित कर जागरुक किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.03.2026 जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय आजमगढ़ ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में **07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया है।

थाना रौनापार पर पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- **29.09.2015** को वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर तहरीर दिया था कि अभियुक्त **संदीप पुत्र रामप्रीत निवासी बर्जला (गांशेपुर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़**, वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-175/2015 धारा- 363,366,376, भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➞ जिसके क्रम में दिनांक-24.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **संदीप पुत्र रामप्रीत निवासी बर्जला (गांशेपुर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**